IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/601 जयपुर,दि0:22.5.2018

ज़िला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः— ग्रामीण क्षेत्रों में आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।
प्रसंगः— विभागीय पत्र क0एफ.4(78) सिवायचक/ नियमन/विधि/पंरा/2017/1974 दिनांक 10.5.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित भूमि पर बसे मकानों का ग्राम सेवक एवं पटवारी के द्वारा संयुक्त सर्वे करवाया जाकर, सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित कार्य निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाये, ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमियों के रहवासियों को पट्टे जारी किये जा सकें । उपरोक्त पत्र के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि:—

1. जिन ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2018 अभियान के शिविर आयोजित हो चुके हैं, वहां अविलम्ब ग्रामसेवक एवं पटवारी द्वारा किया जाने वाला संयुक्त सर्वे आरम्भ किया जाये । जहां उक्त शिविर अब आयोजित होने हैं, वहां की ग्राम पंचायतों में उक्तानुसार सर्वे कार्य शिविर आयोजन की तिथि से पूर्व सम्पन्न करवाया जाकर सैट अपार्ट आदि किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जाये ।
2. उपरोक्त सर्वे की जाने वाली भूमि के अलावा ग्राम पंचायतों द्वारा उनकी आबादी भूमि पर बसे रहवासियों को भी इस अभियान में पट्टे दिये जाने हैं । इस बाबत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों को स्वयं के क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का सीमा ज्ञान नहीं है

अथवा उनके पास उपलब्ध रिकार्ड में आबादी भूमि के खसरा नम्बर की जानकारी नहीं है, इस कारण वहां ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अतः आप संबंधित तहसीलदार एवं पटवारियों को पाबन्द करें कि वे ऐसी ग्राम पंचायतों के अनुरोध पर उन्हें आबादी भूमि का सीमा ज्ञान करायें तथा राजस्व रिकार्ड के आधार पर आबादी भूमि के खसरा नम्बर की जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायें । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास स्पष्ट रूप से आबादी भूमि का रिकार्ड उपलब्ध है, वहां ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी से प्रत्येक पट्टा आवंटन की मिसल पर आबादी भूमि होने की रिपोर्ट अंकित करवाया जाना आवश्यक नहीं है ।

22.5.18

(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव
राजस्व विभाग

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
8. संयुक्त निदेशक(मो0), पंचायती राज विभाग इसकी प्रगति प्रपत्र में सूचना अपलोड करने का दायित्व निर्वहन करेंगे ।

22/5/2018

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि: ACP, मुख्यालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि यह पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

(बी. डी. कृपलानी)
अति. प्रशासनिक अधिकारी
पंचायत राज विभाग
शासन सचिवालय, ज...